भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2967

जिसका उत्तर मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 (28 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया गया

हैदराबाद - मानव के प्राकृतिक केशों की तस्करी का केंद्र

2967 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हैदराबाद मानव के प्राकृतिक केशों की तस्करी का केंद्र है;

(ख) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में तिरुपति स्थित मंदिर से म्यांमार भेजे जा रहे बालों की एक खेप को पकड़ा है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है;

(ग) क्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मानव केश तस्कर पूर्वोत्तर और कोलकाता में फर्जी कंपनियो के माध्यम से बाल बेच रहे हैं और फिर उनकी चीन, म्यांमार आदि में तस्करी करते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस तस्करी को रोकने के लिए क्या योजना बना रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक, सीबीआईसी के अधीन सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा ऐसे कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, जिसमे हैदराबाद को मानव के प्राकृतिक केशों की तस्करी का केंद्र पाया गया हो या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा तिरुपति स्थित मंदिर से म्यांमार भेजे जा रहे बालों की एक खेप को पकड़ा गया हो, या ऐसे मामले जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मानव केश तस्करों द्वारा पूर्वोत्तर और कोलकाता में फर्जी कंपनियों के माध्यम से बाल बेचने की संलिप्तता पाई गई हो।

(घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 59/2024-25 दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से "मनुष्यों के बाल, असुसज्जित, धुले हुए या साफ़ किए हुए अथवा नहीं, तथा मानव बाल का अपशिष्ट" की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए उन्हें 'प्रतिबंधित' श्रेणी से 'निषिद्ध' श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है। हालांकि, यदि एफओबी मूल्य प्रति किलोग्राम 65 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है, तो निर्यात "मुक्त" रहेगा।

इसके अतिरिक्त, तस्करी को रोकने हेतु डीआरआई और सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यलाय सतत निगरानी रखते हैं तथा आसूचना, जोखिम-आधारित अवरोधन और लक्ष्य निर्धारण, तथा कंटेनर स्कैनिंग जैसे गैर-अन्तर्वेधी निरीक्षण के आधार पर परिचालनात्मक कदम उठाते हैं।

*****